

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ - दिनांक - 22 मार्च, 2018

विषय:- दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को कोषागारों/एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को क्रमशः गुड फ्राइडे व हज़रत अली के जन्मदिन का सार्वजनिक अवकाश है। उक्त तिथियों में विभागों/कार्यालयों से अधिक संख्या में देयक प्राप्त होने की सम्भावना है। अतः कोषागारों के साथ-साथ प्रदेश में शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं को दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को खोला जाना आवश्यक है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंक की सभी शाखाएँ, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करती हों, को उक्त तिथि में खोले जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2018/ए-1-274(1)/दस-2018-10(42)/2008, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

- (5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वर्णित तिथि को सभी कोषागारों को आवश्यकतानुसार खोलने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करें।
- (6) सहायक महाप्रबन्धक, मुद्रा प्रबन्ध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स संख्या-1379, मुम्बई-400023
- (7) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001
- (8) मुद्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।
- (9) महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मण्डलीय कार्यालय, हज़रतगंज, लखनऊ।
- (10) मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई।
- (11) महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, 8वाँ तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।